UPMP040059262026

न्यायालय C.J.M., Mainpuri

पीठासीन अधिकारी– (VIMLESH SAROJ) - **उ०प्र० न्यायिक सेवा – UP02379**

Bail Application/1538/2026

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अरूण कुमार उर्फ रिंकू

दिनांक 17.03.2026

अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ रिंकू की ओर से अपराध संख्या–94/2026, अन्तर्गत धारा 112(2), 318(4) बी.एन.एस. व 4(1), 8, 9, 10, 13(3)(4)(5),14 उ.प्र.सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों) का निवारण अधिनियम 2024 थाना बेवर जिला मैनपुरी के प्रकरण में जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थना–पत्र पर बल देते हुए अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियुक्त निर्दोष है। उसे रंजिशन झूंठा फंसाया गया है। प्रार्थी के द्वारा किसी भी परीक्षार्थी को नकल कराये जाने का साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अतः जमानत पर रिहा किए जानें की याचना की गयी।

अभियोजन अधिकारी की आख्या के अनुसार अपराध प्रकृति से गंभीर अजमानतीय एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय (10 वर्ष के कारावास से दण्डनीय) है। जमानत का प्रबल विरोध है।

सुना। अभियोजन अधिकारी की आख्या व रिमाण्ड प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त संगठित रूप से परीक्षा केन्द्र से प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएँ बाहर ले जाकर हल कराने के अवैध कृत्य में संलिप्त पाए जाने का अभियोग है।

अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर व गैर जमानतीय है तथा माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः अपराध की प्रकृति एवं उसकी गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जानें का आधार पर्याप्त नहीं है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किए जानें योग्य है।

आदेश

अभियुक्त अरूण कुमार उर्फ रिंकू की ओर से अपराध संख्या–94/2026, अन्तर्गत धारा 112(2), 318(4) बी.एन.एस. व 4(1), 8, 9, 10, 13(3)(4)(5),14 उ.प्र. सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों) का निवारण अधिनियम 2024 थाना बेवर जिला मैनपुरी के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक 17.03.2026

(विमलेश सरोज)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।
JO Code–UP02379

आशीष प्रजापति
पी.ए.

VIMLESH SAROJ

Digitally signed by VIMLESH SAROJ
Date: 2026.03.17 15:34:42 +0530